

Printed or
by website
मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक:- CMAR/जनर/5144-5148

दिनांक:- 03/07/2017

1. महापौर / सभापति / अध्यक्ष
2. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी
नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका
उदयपुर, भिण्डर, फतेहनगर, सलूबर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, दुंगरपुर, सागवाड़ा, प्रतापगढ़,
छोड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, राजसमंद, रावतभाटा, आमेट, नाथद्वारा।

विषय: जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए एचसीएम रीपा एवं आरयूआईडीपी द्वारा
आयोजित 7 जुलाई को उदयपुर में आमुखिकरण कार्यक्रम बाबत।

महोदय,

माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता
में उदयपुर संभाग के स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों हेतु एक आमुखिकरण
कार्यक्रम का एचसीएम रीपा एवं आरयूआईडीपी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया जा रहा
है। कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार है:

कार्यक्रम शीर्षक	दिनांक एवं समय	आयोजन स्थल
जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए आमुखिकरण कार्यक्रम।	शुक्रवार, 7 जुलाई 2017 प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक	बैंकवट हॉल, अतिथी ग्रह, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रस्तावित आमुखिकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आरयूआईडीपी के तृतीय चरण के तहत
किये जाने वाले शहरी क्षेत्रीय सुधारों पर चर्चा के साथ ही भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं
आरयूआईडीपी के द्वारा शहरी विकास के क्षेत्र में किये जा रहे विभिन्न कार्यों के सफल
क्रियान्वयन में स्थानीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के सहयोग हेतु
आरयूआईडीपी व स्थानीय निकायों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है।

अतः कृपया आपकी निकाय से उप सभापति, वार्ड मेम्बर, राजस्व अधिकारी एवं
अभियंताओं (न्यूनतम 25 प्रतिभागियों) को नामित कर कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना
सुनिश्चित करें।

क्रमांक:- CMAR/जनर/5149—5153
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन
विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक, एचसीएम रीपा, जयपुर।
4. कोर्स समन्वयक, एचसीएम रीपा, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर.....
7. उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक,